HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12621/2026
CNR: RJHC020772372026 | URN: CRLMB / 23258U / 2026

Adil S/o Sahin, R/o Medi Bas Neekuch, Police Station Nauganva, District Alwar. (At Present Confined In Central Alwar, District Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Shiv Kumar
For Respondent(s) : Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

14/09/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना नौगांवा अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 282/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 112(2), 319(2), 318(4), 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66–सी, 66–डी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को सहअभियुक्त नाजिर के कथनों के आधार पर इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। उसके मोबाईल फोन के सम्बन्ध में साईबर पोर्टल पर कोई शिकायत दर्ज नहीं है। सहअभियुक्त नाजिर द्वारा उसके खाते में जो राशि भेजी गई है, वह मात्र 1400/–रूपये है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। वह दिनांक 24.7.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने सहअभियुक्त नाजिर के साथ मिलकर अपराध कारित किया है। सहअभियुक्त नाजिर

प्रार्थी/अभियुक्त को साईबर ठगी के पैसे प्राप्त करने के लिए फर्जी खाते उपलब्ध करवाता था तथा इन खातों में जो राशि प्राप्त होती थी, उनमें से नाजिर अपना तीस प्रतिशत कमीशन काटकर प्रार्थी/अभियुक्त आदिल को भिजवाता था। प्रकरण में अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। उसके विरूद्ध साईबर ठगी का गंभीर अपराध है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त पर आक्षेप है कि प्रार्थी/अभियुक्त और सहअभियुक्त नाजिर खान दोनों मिलकर साईबर अपराध करते थे। सहअभियुक्त नाजिर उसे फर्जी खाते उपलब्ध कराता था तथा इन खातों में जो राशि आती थी, उसमें से नाजिर खान तीस प्रतिशत राशि रखकर शेष राशि प्रार्थी–अभियुक्त को वापिस लौटाता था। अनुसंधान के दौरान प्रकट हुआ है कि दिनांक 20.7.2026 को अभियुक्त ने सहअभियुक्त नाजिर खान के खाते में साईबर ठगी के 2,000/–रूपये जमा करवाये थे, जिसमें से नाजिर खान ने 600/– रूपये काटकर 1400/–रूपये प्रार्थी–अभियुक्त को वापस किए थे। इसके अलावा भी दिनांक 21.7.2026 को नाजिर खान के इसी खाते में साईबर ठगी के 5000/–रूपये अंतरित हुए थे, जिसमें से उसके द्वारा तीस प्रतिशत कमीशन काटकर 3500/–रूपये प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में वापस किया जाना नाजिर खान के ऐयरटेल पेमेन्ट बैंक से दर्शित हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर अनजान लोगों को झांसे में लेकर उनके साथ साईबर ठगी किया जाना और राशियां हडपना पाया गया है। उनके द्वारा की गई साईबर ठगी के सम्बन्ध में साईबर पोर्टल 1930 पर शिकायतें भी दर्ज हैं। **प्रकरण में अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है।** वर्तमान में साईबर अपराध के मामलों में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है। प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

28/JITENDRA SINGH PANWAR